।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 24.04.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 24.04.2026** को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 03 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
निर्मल दुदानी पुत्र प्रकाश दुदानी	के.का.उदयपुर	305/2026	07.03.2026	17.03.2026
धर्मेन्द्र सिंह उर्फ राजु उर्फ वीरु उर्फ जोनी पुत्र तरसेम सिंह	वि.के.का. श्यालावास	611/2026	15.04.2026	21.04.2026
पीर मोहम्मद पुत्र वजीर मोहम्मद	के.का.उदयपुर	1316/2026	20.04.2026	24.04.2026

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी निर्मल दुदानी पुत्र प्रकाश दुदानी, केन्द्रीय कारागृह उदयपुर :-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) अपर सेशन सेशन न्यायाधीश 01 उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 192/2017 अंतर्गत धारा 22सी,29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दिनांक 26.05.2025 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को धारा 22सी, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दिनांक 26.05.2025 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 305/2026 निर्मल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 07.03.2026 पारित किया है कि "Consequently, the present Criminal Writ Petition stands disposed of. The impugned order dated 07.10.2025 passed by the State Level Open Air Camp Committee, in so far as it relates to the petitioner, is quashed and set aside. The respondents are directed to reconsider the petitioner's application for transfer to an Open Air Camp afresh, strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972, and to pass a detailed , reasoned and speaking order after due application of mind. The aforesaid exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of a certified copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से बैठक दिनांक 24.03.2026 में **दण्डित बंदी निर्मल दुदानी पुत्र प्रकाश दुदानी** की गत 01 वर्ष में आचरण की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर ने बंदी का आचरण संतोषप्रद होना अंकित किया है।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2026 में उल्लेख किया गया है कि बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु प्रकरण पर विचार करने के लिए कमेटी को कई जरूरी बातों को ध्यान से मूल्यांकन करना होगा जिसमें कारागृह में बंदी का आचरण, अपराध की प्रकृति, नियम के तहत तय योग्यता के मापदण्ड और बंदी खुला शिविर के व्यापक उद्देश्य शामिल है। जिसका मूल स्वरूप पुनर्वासात्मक है। अतः निर्णय लेने की प्रक्रिया में संस्थागत अनुशासन और दण्डात्मक प्रणाली के मूल में निहित सुधारवादी दर्शन के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन परिलक्षित होना चाहिए।

प्रकरण के समग्र अवलोकन से पाया गया कि बंदी को धारा 22सी, 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त अपराध की प्रकृति गंभीर एवं समाज (Society at large) पर

व्यापक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। बंदी का आचरण एवं अन्य पात्रता शर्तो का परीक्षण किया गया, तथापि अपराध की गंभीरता प्रमुख कारक के रूप में विचारणीय हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ओपन एयर कैम्प में स्थानान्तरण कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक व्यवस्था हैं। ऐसे मामलों में अपराध की प्रकृति, समाज पर प्रभाव एवं सुरक्षा पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपराध की प्रकृति, सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिगत एन.डी.पी.एस.एक्ट में दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में नही निकाले जाने हेतु कमेटी द्वारा विगत वर्षो से अनुशंषा नही की जा रही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2026 की पालना में बंदी के प्रकरण का गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण कर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी निर्मल दुदानी पुत्र प्रकाश दुदानी** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2.दण्डित बंदी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ राजु उर्फ वीरु उर्फ जोनी पुत्र तरसेम सिंह, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावासः-

बंदी को अपर सेशन न्यायालय (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2002 अंतर्गत धारा 302,201 आई.पी.सी. में दिनांक 17.07.2002 को आजीवन कारावास एवं विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या 02 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 87/2021 अंतर्गत धारा 364,366,302,201,372 आई.पी.सी. में दिनांक 26.08.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 26.11.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी पैरोल से दिनांक 28.09.2010 से 10.02.2015 तक फरारशुदा होने के कारण प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 611/2026 दातार बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 15.04.2026 पारित किया है कि "Mr. Deepak Choudhary, learned AAG submits that the case of the convict-petitioner for sending him to the Open Air Camp is pending consideration before the State Government pursuant to the letter dated 06.04.2026. He assures this Court that the decision in the matter will be taken shortly. Considering the submissions made before this Court, the present criminal writ petition is disposed of with a direction to the State Government to decide the pending case of the convict-petitioner for sending him to the Open Air Camp at the earliest, preferably within a period of four weeks from the date of receipt of the certified copy of this order, strictly in accordance with law"

अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी को दिनांक 20.01.2026 को अन्य बंदी के साथ मारपीट करने पर सख्त चेतावनी के जेल दण्ड से दण्डित किया गया है तथा पूर्व में बंदी नियमित पैरोल के दौरान दिनांक 28.09.2010 से 10.02.2015 तक फरार रहा हैं। एवं बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की हैं। जबकि राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किसी भी बंदी का कारागृह में आचरण संतोषप्रद होना आवश्यक है। इस प्रकार बंदी नियमों के तहत अपात्र पाया गया है।

अत: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में बंदी के प्रकरण का परीक्षण कर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ राजु उर्फ वीरु उर्फ जोनी पुत्र तरसेम सिंह** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी पीर मोहम्मद पुत्र वजीर मोहम्मद, केन्द्रीय कारागृह उदयपुर :-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट प्रकरण) संख्या 02 चितौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 61/2020 अंतर्गत धारा 8/18बी,8/25,8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दिनांक 16.04.2024 को 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को धारा 8/18बी,8/25,8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1316/2026 पीर बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 20.04.2026 पारित किया है कि "Consequently, the present Criminal Writ Petition stands disposed of. The impugned order dated 07.10.2025 passed by the Directorate General of Prisons, Jaipur in so far as it relates to the petitioner, is quashed and set aside The respondents are directed to reconsider the petitioner's application for transfer to an Open Air Camp a fresh, strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972, and to pass a detailed, reasoned and speaking order after due application of mind. The aforesaid exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of a certified copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2026 की पालना में प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर ने बंदी का आचरण संतोषप्रद होना अंकित किया है।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2026 में उल्लेख किया गया है कि बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु प्रकरण पर विचार

करने के लिए कमेटी को कई जरूरी बातों को ध्यान से मूल्यांकन करना होगा जिसमें कारागृह में बंदी का आचरण, अपराध की प्रकृति, नियम के तहत तय योग्यता के मापदण्ड और बंदी खुला शिविर के व्यापक उद्देश्य शामिल है। जिसका मूल स्वरूप पुनर्वासात्मक है। अतः निर्णय लेने की प्रक्रिया में संस्थागत अनुशासन और दण्डात्मक प्रणाली के मूल में निहित सुधारवादी दर्शन के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन परिलक्षित होना चाहिए।

प्रकरण के समग्र अवलोकन से पाया गया कि बंदी को धारा 8/18बी,8/25,8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त अपराध की प्रकृति गंभीर एवं समाज (Society at large) पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। बंदी का आचरण एवं अन्य पात्रता शर्तो का परीक्षण किया गया, तथापि अपराध की गंभीरता प्रमुख कारक के रूप में विचारणीय हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खुला बंदी शिविर में स्थानान्तरण कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक व्यवस्था हैं। ऐसे मामलों में अपराध की प्रकृति, समाज पर प्रभाव एवं सुरक्षा पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपराध की प्रकृति, सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिगत एन.डी.पी.एस.एक्ट में दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में नही निकाले जाने हेतु कमेटी द्वारा विगत वर्षो से अनुशंषा नही की जा रही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2026 की पालना में बंदी के प्रकरण का परीक्षण कर गुण-अवगुण के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी पीर मोहम्मद पुत्र वजीर मोहम्मद** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(सत्यपाल जांगिड़)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर